FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

भूदाराम व अन्य बनाम महमूद व अन्य

किस्म मुकदमा– प्रा.पत्र बाजदायरी प्रा. पत्र बाजदायरी संख्या 50/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.06.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट सुश्री राधिका महरवाल, एड. उप.। वकील अपीलांट को प्रार्थना पत्र बाज दायरी पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उनवानी अपील में अपीलांट श्री भूदाराम माली अपील में पैरवी किया करते थे, उनके अधिवक्ता गजेन्द्र शर्मा जी थे। उपरोक्ब अपील सन् 2012 में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दौराने अपील के विचारण के समय अपीलार्थी भूदाराम जी का स्वर्गवास दिनांक 14.05.2016 को हो गया था। उपरोक्त उनवानी अपील में अपीलांट भूदाराम ही न्यायालय में उपस्थित होकर सभी प्रकार की कार्य व कार्यवाहियां किया करते थे। इस बात का उनके वारिसानों को भी पता नहीं था। भूदाराम जी मृत्यु होने के पश्चात दिनांक 10.08.2016 को भूदाराम जी की ओर से उनके वारिसान माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को अदालत हाजा में उपस्थित नहीं हो पाये और उनके अधिवक्ता गजेन्द्र शर्मा एडवोकेट भी माननीय न्यायालय के समक्ष वर वक्त आवाज उपस्थित नहीं हो पाये, जिस कारण अदालत द्वारा अपीलार्थी का प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। जिनके वारिसान में 1/2/1 (श्रीमती संतरा देवी पत्नि स्व. श्री सीताराम, एवं 1/2/2 नर्बदा, 1/2/3 तेजपाल, 1/2/4 मुकेश 1/2/5 सुरेश, 1/2/6 सरोज हैं। भूदाराम जी के वारिसानों ने जब भूदाराम जी के कमरे की सफाई दिनांक 15.03.2023 को करने लगे तब एक सन्दूक के अन्दर पुराने कागजातों के साथ प्रकरण की फोटोस्टेट पत्रावली की कुछ आदेशिकायें एवं प्रार्थना पत्र , अपील की फाईल की फोटोस्टेट प्रार्थीगणों को दस्तयाब हुई। जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा जयपुर में आकर माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के यहॉ प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2023 को प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थीगण को प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 10.04.2023 को प्राप्त हुई। जिसके सम्पूर्ण अवलोकन करने प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण के पिता की अपील दिनांक 10.08.2016 को अदम हाजरी अदम पैरवी में निरस्त कर दी गई है। स्वर्गीय भूदाराम जी के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान में विवादग्रस्त सम्पत्ति के मालिकान हकूक निहित हो गये है। अपीलार्थी भूदाराम के वारिसान विवादग्रस्त आराजी पर मालिक, स्वामी, काबिज है। भूदारामजी के वारिसान को रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध राईट टू सूट सरवाईज करता है। जिनके वारिसान हम हैं। इसलिये उक्त उनवानी अपील को पुनः नम्बर पर /रेस्टोर किया जाकर पुनः सुनवाई पर लिया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रार्थी/अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर उनवान अपील को रेस्टोर किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। इन्हें प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 पर भी सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन 300/रू. की कोष्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल अपील रेस्टोर की जाती है। प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 3 भी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट भूराराम पुत्र हुक्माराम के आगे दौराने अपील मृतक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भूराराम पुत्र हुक्माराम के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील अपीलांट संशोधित उनवान एवं 300/– रू. की कोष्ट राजकोष में जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर हमफिता अपील रहे। आदेश सुनाया गया। (असलम शेर खान) अति. संभागीय आयुक्त जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner